162

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4029–एक/2014 विरूद्ध आदेश 17–10–2014 – पारित – व्दारा – अपर कलेक्टर अशोकनगर – प्रकरण क्रमांक 23/2011–12 निगरानी

1– चन्दन सिंह पुत्र भगवान सिंह धाकड़
निवासी ग्राम करैयाबुद्धू तहसील अशोकनगर
2– श्रीमती डोड़ावाई पत्नि दलेलसिंह यादव
निवासी ग्राम व्यानी तहसील अशोकनगर ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मन्टूलाल पुत्र पुन्नालाल चमार
मृतक वारिस
(1) श्रीमती मोहर वाई पत्नि स्व.मंटूलाल
(2) बीरेन्द्र पुत्र स्व0 मंटूलाल
(3) छोटेलाल पुत्र स्व0 मंटूलाल
(4) राजकुमार पुत्र स्व0 मंटूलाल
(5) बिनोदवाई पत्नि मोहनसिंह पुत्री मंटूलाल
(6) प्रीतिवाई पत्नि लखन पुत्री स्व0 मंटूलाल
(7) राजाबाबू पुत्र स्व0 मंटूलाल
(8) कु0सिब्बोवाई पुत्री स्व0 मंटूलाल
क्रमांक 7 व 8 अल्पवयस्क सरपरस्त
मॉ श्रीमती मोहरवाई सभी निवासी
ग्राम करैयाबुद्धू तहसील अशोकनगर
2– दयाराम पुत्र शॉतिलाल चमार ग्राम करैयाबुद्धू
तहसील व जिला अशोकनगर
3– मधवा पुत्र प्यारा चमार
मृतक वारिस
(1) श्रीमती सुमित्रावाई पत्नि श्री नंदलाल पुत्री मधवा
निवासी ग्राम शेमाटोरा खजुरिया तहसील अशोकनगर
(2) श्रीमती गुडडीवाई पत्नि दयाराम पुत्री मधवा
ग्राम ऑवरी पोस्ट अशोकनगर

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0एस0तौमर)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)

आ दे श

(आज दिनांक 24-6 - 2016 को पारित)

अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 23/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-10-2014 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक स्व. मन्टूलाल, दयाराम, स्व0मधवा ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष म0प्र0समाज के कमजोर वर्गो के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनॉक 8-3-11 प्रस्तुत कर मॉग की कि उनके स्वामित्व की ग्राम करैयाबुद्धू स्थित भूमि सर्वे नंबर 550/2 रकबा 0.162 हैक्टर, सर्वे नंबर 673/3 रकबा 0.406 हैक्टर, सर्वे नंबर 690 रकबा 0.317 हैक्टर, सर्वे नंबर 763/1 रकबा 1.672 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.557 हैक्टर शासकीय अभिलेख में मधवा पुत्र प्यारा के नाम पर दर्ज है जिसमें से सर्वे नंबर 763/1 दयाराम पुत्र शांतिलाल के नाम, सर्वे नंबर 550/2 मन्टूलाल के नाम पर है। आवेदक ने मजबूरी में आकर चन्दन सिंह के यहॉ भूमि गिरवी रखी थी जिसकी वापिसी की शर्त पर बयनामा दिनांक 8-8-2006 संपादित कराया था तथा 10-10 रूपये के दो स्टाम्प खरीदकर भूमि वापिसी की शर्त की

भी लिखा पढ़ी हुई थी जिसकी नोटरी कराई गई है परन्तु चन्दनसिंह भूमि अब वापिस नहीं कर रहा है इसलिये भूमि वापिस दिलाई जावे। अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण के आवेदन पर प्रकरण क्रमांक 122/बी-121/2010-11 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई हेतु आवेदकगण को आहुत किया, जिस पर आवेदकगण ने प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति दर्ज की। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने उभय पक्ष को श्रवणोपरांत आदेश दिनांक 29-10-11 पारित किया तथा अधिनयिम के अंतर्गत प्रकरण प्रचलन योग्य होना माना। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष निगरानी क्रमांक 23/2011-12 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 10-10-2014 से निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में यह देखना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के अंतरिम आदेश दिनांक 29-10-11 के विरूद्ध अपर कलेक्टर अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य योग्य एंव प्रचलनयोग्य है अथवा नहीं? म0प्र0समाज के कमजोर वर्गो के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचकों से परित्राण तथा मुक्ति अधि0 1976 की धारा 8 में व्यवस्था दी गई है कि :-

धारा-8 :- " अपील - कोई भी व्यक्ति, जो धारा 7 के अधीन उपखंड अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश के पारित किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर कलेक्टर को अपील ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में करेगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसाकि विहित किया जाय। "

स्पष्ट है कि अधिनियम में निगरानी का प्रावधान नहीं है जबकि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के आदेश दिनांक 29-10-11 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की थी जो अग्राह्य एंव अप्रचलनशील है इस सम्बन्ध में विद्वान अपर कलेक्टर व्दारा आदेश दि017-10-2014 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है।

5/ अनावेदकगण के अभिभाषक ने निगरानी की प्रचलनशीलता पर आपत्ति व्यक्त की है। विचार योग्य है कि क्या अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा निगरानी क्रमांक 23/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2014 के विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य है ? म0प्र0समाज के कमजोर वर्गो के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 की धारा 9 में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :-

धारा-9 - आदेश की अंतिमता - इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कलेक्टर व्दारा अपील में किया गया प्रत्येक आदेश या अपील फाइल न की जाने की दशा में उपखंड अधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा तथा वह किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी में अपील या पुनरीक्षण के तौर पर या किसी मूल वाद, आवेदन या किन्हीं निष्पादन कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

स्पष्ट है कि आवेदकगण व्दारा अपर अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य नहीं है। (नाथुराम विरूद्ध आशाराम 1985 राजस्व निर्णय 418 से अनुसरित)

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अप्रचलन-योग्य पाये जाने से निरस्त की जाती है । परिणामतः अपर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 23/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-10-2014 यथावत् रहता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर